निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण 1929 (श०)

(सं० पटना 1071) पटना, मंगलवार 4 दिसम्बर 2007

पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज निदेशालय)

अधिसूचनाएं

29 नवम्बर 2007

संख्या-5595--बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा-146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में संशोधन करते हैं, जो निम्नलिखित है :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।- (1) यह नियमावली बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

उक्त नियमावली में --

2. नियमावली के नियम-54 में निम्नांकित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा :-

''परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपेटी के अतिरिक्त मतदान करने की मशीनों को भी विहित तरीके से मतों को देने और रिकॉर्डिंग करने के लिए उन निर्वाचन क्षेत्र या क्षेत्रों में अपनाया जा सकेगा, जिसे आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे। ''मतदान करने की मशीन'' से अभिप्रेत है मतों को देने या रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या अन्यथा संचालित की जाए। अधिनियम अथवा नियमावली में प्रयुक्त मतपेटी या मतपत्र से, अन्यथा उपबंधित नहीं रहने पर, मतदान करने की मशीन का भी संदर्भ समझा जाएगा, जहाँ भी उस मतदान करने की मशीन को किसी निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाता है।

मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकॉर्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबन्द करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परन्तु जहां तक व्यवहारिक हो, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, वहां कंट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बनाकर सभी डेटा की

हार्ड कॉपी बना ली जाएगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गाँज लिफाफे में रख दिया जाएगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सील बन्द कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। उक्त सील बन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई नियम-86 के अध्यधीन की जाएगी। आयोग द्वारा आपूरित सेक्रेट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घंटे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जाएगी।''

3. नियमावली के नियम-87(1) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा :-

''परन्तु यह भी कि किसी ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी में गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त हों, तो उन रिक्त पदों को भरने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन करा लेने के पश्चात् ही उक्त ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के उप-मुखिया/उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु बैठक निर्धारित किया जाएगा।''

4. नियमावली के नियम-113 के पश्चात् नया नियम-113 क अन्त:स्थापित किया जायेगा :-

''113 क - चुनाव याचिका दायर करने हेतु अभिलेखों से संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति समय-सीमा के अन्दर उपलब्ध कराया जाना-(1) अगर कोई व्यक्ति विहित तरीके से निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन परिणाम या अन्य सूचना या कागजात की प्रति चुनाव याचिका दायर करने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये प्राप्त करने का आवेदन देता है, तो निर्वाची पदाधिकारी के लिए यह लाजिमी होगा कि वह ऐसे आवेदन दायर करने के अधिकतम पाँच दिनों के अन्दर संबंधित सूचना/कागजात आवेदक को उपलब्ध कराये। अगर आवेदक निर्बाधित तिथि को सूचना अथवा सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मामले की सूचना उसी दिन दे दी जायेगी।

(2) अगर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी वांछित सूचना अथवा सत्यापित प्रति बिना युक्तियुक्त कारण के विहित अवधि में देने में असफल रहता है अथवा सूचना देने में कदाशयपूर्वक इन्कार करता है, अथवा किसी तरीके से बाधा उत्पन्न करता है, तब इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी असफलता के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु मौखिक अथवा लिखित निदेश के बाद, विलम्ब के प्रत्येक दिन हेतु पांच सौ रूपये का जुर्माना, जब तक संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है, अधिरोपित कर सकता है। जुर्माने की वसूली संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के व्यक्तिगत वेतन अथवा परिलब्धियों से ऐसे तरीके से की जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग निदेशित करे :

परन्तु ऐसा दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यह साबित करने की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की होगी कि उसने युक्तियुक्त तरीके एवं तत्परता से व्यवहार किया है।

(3) जब निर्णय लेने के समय राज्य निर्वाचन आयोग का यह विचार हो कि निर्वाची पदाधिकारी बिना युक्तियुक्त कारण के उल्लिखित अवधि में सूचना अथवा सत्यापित प्रति देने में असफल रहा है या कदाशयता से अनुरोध को इन्कार किया है, तब राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाची पदाधिकारी के विरूद्ध उसके लिए लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा भी करेगा।

5. नियमावली के नियम-115 में संशोधन ।-

''नियमावली के नियम-115 में उल्लेखित ''नियम 116'' के स्थान पर ''नियम 114 प्रतिस्थापित समझा जाएगा।'':--

6. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में ''अध्यादेश'' शब्द के स्थान पर ''अधिनियम'' शब्द का प्रतिस्थापन।-

''नियमावली में जहाँ-जहाँ ''अध्यादेश'' शब्द प्रयुक्त किया गया है, उसे ''अधिनियम'' शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाएगा।''

(संचिका संख्या-2प/वि6-01/2006)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह0/अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 29th November 2007

No. 5595.—In exercise of powers conferred by section 146 of Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006), the Governor of Bihar amends the Bihar Panchayat Election Rule, 2006 as under :-

1. *Short title, extent and commencement* :—(*i*) This rule may be called "The Bihar Panchayat Election (Amendment) Rule, 2007."

(*ii*) This shall come into force with immediate effect.

In the said Rule —

2. *The following proviso shall be inserted in rule 54 of the Rule :*

"Provided that in addition to ballot boxes, the giving and recording of votes by voting machines also in such manner as may be prescribed, may be adopted in all constituencies or in such constituency or constituencies, by the State Election Commission, as it may, having regard to the circumstances of each case, specify. "Voting machine" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes and any reference to a ballot box or a ballot paper in the Act or rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used at any election.

In case of use of Electronic voting machines for polling, procedure to be followed for recording and counting of the votes, sealing of machines and declaration of results etc. shall be prescribed by the State Election Commission.

Provided that, **as for as practicable,** whenever electronic voting machines will be used, a hard copy of all data pertaining to different candidates will be prepared in the same format, as it is displayed in the control unit, and after putting in signatures of all candidates present at the time of counting or their election agents and the Returning Officer on the format, it shall be kept in a gauze envelope sealed by the secret seal specially provided by the State Election Commission to each Returning Officer and shall be kept in safe custody of the District Election Officer. The action regarding custody and destruction of such sealed envelopes shall be taken under rule 86. The secret seal supplied by the Commission shall invariably be returned to the Commission within thirty six hours of declaration of results."

3. *After the first proviso in rule 87(1) of the Rule, the following proviso shall be inserted:*

"Provided also that in case the total number of vacant seats exceeds 25 percent of the total number of seats of the territorial constituencies constituted under any Gram Panchayat / Gram Kutchhari, the date of meeting for election of Up-Mukhia /Up-Sarpanch of the said Gram Panchayat/Gram Kutchhari shall be fixed only after conducting the election for filling up the vacant posts as per the provision under the Act."

4. *After rule 113 of the Rule, a new rule 113(a) shall be inserted.*

"113(a) – Information or Certified Copy of documents for filing election petitions to be made available within time frame. – (1) If a person files application in the prescribed manner for obtaining a copy of the election result or any other information or paper related to the election for the purpose of filing an election petition or for other purposes, it shall be incumbent on the part of the Returning Officer to make available the required information/ papers to the applicant within a maximum period of five days from the day of filing of such an application. If the applicant does not turn up to receive the information or the certified copy on the fixed date, the matter will be reported to the District Election Officer (Panchayat) on the same day.

(2) If the concerned Returning Officer fails to furnish the required information or to hand over the certified copy without any reasonable cause within the prescribed period or denied and/or obstructed the request for information with malafide intent in any manner, the State Election Commission, on receiving a complaint in this regard and after giving any oral

or written direction to submit an explanation for the failure to do so, may impose a fine of rupees five hundred per day for delay, till the period the requisite information or the certifed copy of the same is made available to the applicant. The fine shall be realized from the personal salary or emoluments of the concerned Returning Officer in the manner as specified by the State Election Commission.

Provided that the concerned Returning Officer shall be given a reasonable opportunity of being heard by the State Election Commission before any penalty is imposed on him.

Provided further that the "burden of proof" that he acted reasonably and diligently shall be on the concerned Returning Officer.

(3) Where the State Election Commission at the time of deciding is of the opinion that the Returning Officer, without any reasonable cause, failed to furnish the information or the certified copy of the same within the specified time or denied the request with malafide intent, the State Election Commission shall also recommend for disciplinary action against the Returning Officer under the service rules applicable to him."

5. *Amendment of rule 115 of the Rule :*

"Rule 116" mentioned in rule 115 of the Rule shall be substituted by "rule 114."

6. *Substitution of word "The Act" in place of word "the ordinance" in the Bihar Panchayat Election Rule, 2006.*

In the Rule, wherever the word "ordinance" has been used, it shall be understood to be substituted by the word "Act".

(File No. - 2P/Vi.6 - 01/2006)
By order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illigible,
Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 1071-571+200